रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT 3 NOV 1979 INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 1979 (आश्विन 28, 1901)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1979 (ASVINA 28, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	573
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1329
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	927
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2379
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2877
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	365
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	8079
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	605
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2297
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	143

CONTENTS

	PAGE
RT I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	573
RT I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1329
RT I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
RT I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions. Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	927
RT II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
RT II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
RT II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Adminitrations of Union Territories) ..	2379
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2877
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	365
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8079
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	605
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2297
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	143

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1979

सं० 40-प्रेज/79—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री पी० आर० राजगोपाल,
पुलिस महानिरीक्षक,
दिल्ली।

(अब महानिदेशक केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 मई, 1974 के मध्याह्न दिल्ली के आजाद मार्केट (सदर बाजार) क्षेत्र में जोरों का साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठा। सूचना पाते ही तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री बी० पी० मारवाह, तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के दौरान श्री मारवाह को गोली लगी और वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।

स्थिति के बिगड़ने का समाचार सुनकर दिल्ली के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री पी० आर० राजगोपाल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस दल का नेतृत्व संभाला जिसका मनोबल कम होता दिखाई दे रहा था। उनकी ओर गोली चलाए जाने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। उपद्रवियों ने कई घरों और संस्थानों को आग लगा दी। छिपकर गोली चलाने वाले पुलिस और फायर ब्रिगेड पर लगातार गोली चलाते रहे और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए आगे बढ़ने से रोके रखा। श्री राजगोपाल ने पुलिस दल को उस ओर गोली चलाने का निर्देश दिया, जहां से पुलिस दल पर गोलियां चल रही थीं। वे गोलीबारी को शांत करने में सफल हुए। इस बीच एक क्रुद्ध भीड़ वहां एकत्र हो गई और उसने उस घर की तलाशी लेने पर जोर दिया जहां से भीड़ पर गोली चलाये जाने का सन्देह था। श्री राजगोपाल ने घर की तलाशी करवायी और भीड़ के आक्रमण से उसकी रक्षा की। यह सूचना प्राप्त होने पर कि एक टिम्बर के डिपो को आग लगा दी है, वे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने स्वयं एक मस्जिद, जिसको आग लगाई जा रही थी, में से फंसे हुए कुछ बच्चों को बचा लिया।

कार्यवाही में श्री पी० आर० राजगोपाल ने व्यक्तिगत खतरा उठाकर असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और प्रभावकारी ढंग से दंगों को नियंत्रित करने और उसे अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने में वे सफल हुए।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 मई, 1974 से दिया जाएगा।

सं० 41-प्रेज/79—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्रीमती किरण बेदी,
पुलिस उपायुक्त,
नई दिल्ली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 नवम्बर, 1978 को अकालियों ने निरंकारियों के विरुद्ध जो इंडिया गेट नई दिल्ली के समीप समागम कर रहे थे, एक प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शनकारियों को निरंकारी संत समागम की ओर बढ़ने से रोकने के लिए श्रीमती किरण बेदी को अशोक मार्ग पर "ग" षड्भुज पर गैस दस्ते के आधे सैक्शन के साथ तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी बंगला साहब गुरुद्वारे से विन्डसर प्लेस की ओर बढ़े, जहां पर उनको पुलिस ने रोका और उनमें से कुछ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी निषेधाज्ञा भंग करने के कारण गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने पुलिस के घेरे को तोड़ दिया और इंडिया गेट की तरफ बढ़ने लगे। "ग" षड्भुज पर पहुंचते ही उनको श्रीमती बेदी द्वारा रोका गया। सूचना मिलने पर कि लगभग 700-800 प्रदर्शनकारी समागम में बलपूर्वक प्रवेश करने के इरादे से अशोक मार्ग पर पहुंच गये हैं, वे तुरन्त गड़बड़ वाले स्थान की ओर गईं और प्रदर्शनकारियों पर बेतें बरसाने लगीं। उस समय उनके साथ पुलिस की केवल एक प्लाटून थी। प्रदर्शनकारी पथराव पर उतारू हो गये। उनके बढ़ने को पूर्णरूप से रोकने के बाद वे "ग" षड्भुज चौराहे पर आई जहां पर उन्होंने देखा कि प्रदर्शनकारियों की संख्या 25 से बढ़ कर 100 हो गई है। अपर्याप्त पुलिस दल और आंसू गैस दस्ते के अभाव आदि विषमताओं से अविचलित, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बेंतों का प्रहार किया। प्रदर्शनकारियों में से एक नंगी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा किन्तु उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उक्त प्रदर्शनकारी सहित अन्यों पर बेतों का प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप वे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सफल हुईं।

श्रीमती किरण बेदी ने अपने जीवन को महान संकट में डाल कर उपद्रवी प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में उत्कृष्ट सहास और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 नवम्बर, 1978 से दिया जायेगा।

के० सी० मावप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1979

संकल्प

सं० 9/7/78-ई० पी० (एग्री-6)—भारत सरकार ने दिनांक 15-7-1978 के संकल्प सं० 9/7/78-ई० पी० (एग्री-6) द्वारा, जिसे दिनांक 16 अगस्त, 15 नवम्बर, 28 दिसम्बर, 1978 25 जनवरी, 8 जून तथा 4 अगस्त, 1979 के समसंख्यक संकल्पों द्वारा संशोधित किया गया, तम्बाकू के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की थी। विशेषज्ञ दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि भारत सरकार के समसंख्यक संकल्प दिनांक 8 जून, 1979 द्वारा 30 सितम्बर, 1979 तक बढ़ा दी गई थी। अब विशेषज्ञ दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस अवधि को 31 दिसम्बर, 1979 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० सी० पांडे, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th October 1979

No. 40—Pres./79.—The President is pleased to award the Bar to the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police:—

Name and ranks of the Officer

Shri P. R. Rajgopal,
Inspector General of Police,
Delhi.

(Now Director General, Central Reserve Police Force).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In the afternoon of the 5th May, 1974, a serious communal riot broke out in the Azad Market (Sadar Bazar) area of Delhi. On receiving information Shri V. P. Marwah, the then Deputy Inspector General of Police reached the spot. As Shri Marwah was getting a grip over the situation, he was hit by a bullet and was seriously injured. He had to be removed to the hospital.

On hearing about the deteriorating situation, Shri P. R. Rajgopal, the then Inspector General of Police, Delhi, rushed to the spot, took command of the police force which was showing signs of sagging morale and went forward despite the firing directed at him. The rioters had set fire to a number of houses and establishments. Fire Brigade was being prevented from moving forward to extinguish fire by the snipers who continued firing at the Police and Fire Brigade. Shri Rajgopal directed the police party to fire at the place from where shots were coming. He was able to silence the fire. Meanwhile, a furious mob had collected and insisted on searching the house from which they suspected fire was being directed on the crowd. Shri Rajgopal had the house searched and saved it from the attack by the mob. On receipt of information that a timber depot had been set on fire, he proceeded to disperse the crowd by resorting to firing. He himself intervened and rescued some children who had been trapped in a mosque which was being set on fire.

In this operation Shri P. R. Rajgopal showed exceptional courage, drive and devotion to duty at grave personal risk and succeeded in effectively controlling the riot and preventing its spread to other areas.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th May, 1974.

No. 41—Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police:—

Name and Rank of the Officer

Shrimati Kiran Bedi,
Deputy Commissioner of Police,
New Delhi.

State ment of Services for which the Decoration has been Awarded.

On the 5th November, 1978 ,the Akalis organised a demonstration against the Nirankaris who were holding a Samagam near India Gate, New Delhi. In order to prevent the demonstrators proceeding to the Nirankari Sant Samagam, Shrimati Kiran Bedi, Deputy Commissioner of Police was deployed with half a section of gas squad at C-Hexagon on Ashoka Road. The demonstrators proceeded from Bangla Sahib Gurdwara to Windsor Place where they were stopped by the Police force and some of them were arrested for violating the prohibitory order which had been promulgated under section 144 Cr. P.C. Some of the demonstrators broke the police cordon and proceeded towards India Gate. On reaching C-Hexagon, they were stopped by Smt. Bedi. In the meantime, on receiving information that about 700-to 800 demonstrators had reached Ashoka Road with an intention to force their entry into the Samagam, she immediately left for the place of trouble and charged the demonstrators with a cane. At that time she had only one platoon of police at her disposal. The demonstrators indulged in brick-batting. After successfully checking their advance, she came to C-Hexagon Crossing where she found that the number of demonstrators had increased from about 25 to about 100. Despite inadequate police force and lack support of tear gas Squad, undetered by these odds. She charged the demonstrators with a cane. One of the demonstrators ran towards her with a naked sword but regardless of her personal safety she charged the said demonstrator and others with the cane which ultimately succeeded in dispersing the demonstrators and restoring peace in the area.

Shrimati Kiran Bedi exhibited conspicuous courage and determination in controlling the unruly demonstrators at a grave personal risk to her life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance as admissible under rule 5, with effect from the 5th November, 1978.

K. C. MADAPPA
Secretary to the President.

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(DEPTT. OF COMMERCE)

New Delhi, the 25th September 1979

RESOLUTION

No. 9/7/78-FP(AGRI. VI).—The Government of India by Resolution No. No. 9/7/78-EP(Agri. vi) dated 15-7-78, as amended by Resolutions of even number dated 16th August, 15th November, 28th December, 1978; 25th January, 8th June and 4th August, 1979, had set up an Expert Group on Tobacco. The term for submission of report by the Expert Group was extended upto 30th September, 1979 vide Government of India Resolution of even number dated 8th June, 1979. It has now been decided to extend the period upto 31st December, 1979, for submission of report by the Expert Group.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. C. PANDE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979

I-92-21148
9/1/80